

सूचना विवरणिका

नेशनल हैल्थ मिशन के तहत Mid Level Health Provider (MLHP/Community Health Officer (CHO) के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु सूचना विवरणिका



आयोजक

हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

न्यू सेन्ट्रल होप टाउन, बायॉखाला, शिशमबाडा देहरादून,
पिन- 248197 उत्तराखण्ड, भारत

हैल्पलाईन नम्बर 8006516772

वेबसाईट : www.hnbumu.ac.in, ई-मेल : info.hnbumu@gmail.com

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (N.H.M.) उत्तराखण्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत Mid Level Health Provider (MLHP/Community Health Officer (CHO) के रिक्त पदों पर integrated Curriculum of B.Sc Nursing & Post basic nursing Course से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से परीक्षा के माध्यम से भरे जाने हेतु हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजन के उपरांत मेरिट के आधार पर काउन्सिलिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों की जनपदवार सूची तैयार कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (N.H.M.) उत्तराखण्ड को संबंधी नियुक्ति अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जानी है।

हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा Mid Level Health Provider (MLHP/Community Health Officer (CHO) की लिखित परीक्षा हेतु निम्नानुसार समय-सारणी निर्धारित की जानी प्रस्तावित है:-

Important dates for Mid Level Health Provider (MLHP/Community Health Officer (CHO) Entrance Examination:

1	ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि	04.02.2024 (प्रातः 11:00 बजे) से 20.02.2024 (साय 03:00 बजे तक)
2	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र/ ऑनलाईन शुल्क जमा करना	
3	वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि	21.02.2024 को अपरान्ह: 04:00 बजे से
4	लिखित परीक्षा की तिथि	25.02.2024 प्रातः 11:00 से अपरान्ह 01:00 बजे तक
5	परीक्षा परिणाम घोषित	विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से जारी की जायेगी।
6	काउन्सिलिंग एवं जनपदवार सीटों की संख्या के संबंध में सूचना	विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से जारी की जायेगी।

नोट: हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का दायित्व लिखित परीक्षा एवं काउन्सिलिंग आयोजित कर जनपदवार मेरिट सूची राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (N.H.M.) उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराये जाने तक सीमित होगा। M.L.H.P.C.H.O. के पदों की संख्या काउन्सिलिंग के समय प्रदर्शित की जायेगी एवं निर्धारित मानदेय/

**नियुक्ति का स्थान के संबंध में समस्त निर्णय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (N.H.M.)
उत्तराखण्ड द्वारा लिए जायेंगे।**

सी0एच0ओ0/एम0एल0पी0एच0 लिखित परीक्षा-2024 में सम्मिलित होने हेतु अर्हताएं

सी0एच0ओ0/एम0एल0पी0एच0 परीक्षा-2024 में सम्मिलित होने हेतु निम्न अर्हताएं होंगी-

- अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं :-

- Mid Level Health Provider/ Community Health Officer पद की शैक्षिक योग्यता निम्नवत् है।

(1) बी0एस-सी0 नर्सिंग (with integrated CPHC Curriculum)

अथवा

पोस्ट बेसिक बी0एस-सी0 नर्सिंग (with integrated CPHC Curriculum)

अथवा

A Nurse (B.Sc Nursing/Post basic B.Sc Nursing/GNM) with a certificate course in Community Health From IGNOU/State Public Health/ State Medical University.

(2) उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नर्सिंग कालेज (पब्लिक, प्राइवेट एवं एम्स ऋषिकेश) से उत्तीर्ण हुये अभ्यर्थी जो कि उपरोक्त शैक्षिक योग्यता के धारक हो Mid Level Health Provider/ Community Health Officer के पद हेतु अर्ह होंगे।

(3) उक्त के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड के मूल निवासी हैं, परन्तु दूसरे राज्यों से उपरोक्त पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो Mid Level Health Provider/ Community Health Officer के पद हेतु अर्ह होंगे।

आयु सीमा

- सी0एच0ओ0/एम0एल0पी0एच0 पदों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 01.07.2023 को आयु न्यूनतम 21 वर्ष हो तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय के अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

चरित्र:-

- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थी का कार्य-व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है, तो उनका अभ्यर्थीन निरस्त कर उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जायेगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।

शारीरिक स्वस्थता:—

- किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो।

पंजीकरण शुल्क:—

- सी0एच0ओ0/एम0एल0पी0एच0 लिखित परीक्षा— 2024 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को पंजीकरण शुल्क रुपया 800/— (रु0 आठ सौ मात्र) निर्धारित की गयी है।

ऑन-लाईन आवेदन प्रक्रिया

- ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी रिक्तियों/विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन ध्यानपूर्वक कर लें। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाओं से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे अन्यथा अभ्यर्थी के उक्त श्रेणी का लाभ नहीं दिया जायेगा। आरक्षण (EWS/SC/ST/OBC) सम्बन्धी समस्त प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड राज्य से जारी होने अनिवार्य है तथा आरक्षण का लाभ लेने के लिये उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।

लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम एवं चयन प्रक्रिया:—

- सी0एच0ओ0/एम0एल0पी0एच0 लिखित परीक्षा—2024 लिखित प्रवेश परीक्षा के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद (I.N.C) द्वारा निर्धारित मानकानुसार लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा समय 02 घंटे निर्धारित किया गया है।
- सभी विषयों के प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के (Objective Type) होंगे। प्रश्न-पत्र में 100 बहुविकल्पीय (a,b,c,d) प्रश्न होंगे जिनका एक ही सर्व उपयुक्त विकल्प होगा। प्रत्येक सही उत्तर के एक अंक प्राप्त होंगे तथा उत्तर नहीं देने पर/कई विकल्पों का एक साथ चयन करने पर शून्य अंक प्राप्त होगा।
- अभ्यर्थियों को परीक्षा उपरान्त प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति होगी।
- परीक्षा कार्यक्रम अपरिवर्तनीय है, चाहे उपर्युक्त तिथि को सार्वजनिक अवकाश ही क्यों न घोषित हो जाए।
- परीक्षा स्थल पर कैलकुलेटर, लॉगटेबल या किसी भी प्रकार का संचार उपकरण (सेल्युलर/मोबाईल फोन आदि) लाना वर्जित हैं।
- सभी अभ्यर्थी परीक्षा के लिए नियत समय से 45 मिनट पूर्व अपना स्थान अवश्य ही ग्रहण कर लें ताकि वे उत्तर-पुस्तिका में आवश्यक सूचना प्रश्न-पत्र शुरू होने से पूर्व भर सकें।
- प्रश्न-पत्र पर लगी हुई पेपर सील को तभी तोड़े जब कक्ष निरीक्षक द्वारा इसकी घोषणा की जाए।
- किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में एक से अधिक गोलों को भरने से गलत उत्तर माना जायेगा।
- लिखित परीक्षा की उत्तरशीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

आरक्षण

- अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) उत्तराखण्ड राज्य की प्रचलित/स्थापित नीति एवं निर्णयों के अनुसार सी0एच0ओ0/एम0एल0पी0एच0 परीक्षा—2024 हेतु अनुमन्य होगा।
- किसी भी प्रकार के श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवासी को ही अनुमन्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को संबंधित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी लाभ प्राप्त करने के लिये

उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार केवल उत्तराखण्ड शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत, आवेदन करने की तिथि को मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में उसे सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का केवल अभ्यर्थी के पक्ष/नाम पर निर्गत प्रमाण ही मान्य होगा।

- ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16-02 (ओ0बी0सी0)/ 2012 दिनांक 21.02.2016 के अनुसार जारी होने की तिथि से केवल तीन वर्ष तक ही मान्य (valid) होता है। अतः ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने जाति प्रमाण पत्र की मान्यता/वैद्यता (validity) को भली-भांति जांच लें। अमान्य (invalid) ओ0बी0सी0 जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 123/XXX(2)/2020-30(1)/2020 दिनांक 29 अप्रैल, 2020 तथा विधायी एवं ससंदीय कार्यविभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2020/20(1)/2020 दिनांक 07 मार्च 2020 पर निर्धारित नियम/शर्तों/प्रतिबन्धों के आधार पर ही दिया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थी के पक्ष में उत्तराखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्र 2020-21 के लिये मान्य/निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- भूतपूर्व सैनिक से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो—(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं— (एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले, (चार) जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जायेगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। (चयन प्रक्रिया में भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।)
- "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित" से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) (तीन) पुत्री के पुत्र/पुत्री से है।

परीक्षा केन्द्र

सी0एच0ओ0/एम0एल0पी0एच0 2024 में लिखित परीक्षा में सम्मिलित निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :-

परीक्षा केन्द्र	परीक्षा केन्द्र कोड
देहरादून	1
श्रीनगर	2
हल्द्वानी	3
अल्मोडा	4

प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर एक ही परीक्षा केन्द्र का विकल्प भरना होगा। एक बार चयन किये गये परीक्षा केन्द्र को बदलने का अभ्यर्थी को अधिकार नहीं है। परन्तु विश्वविद्यालय को आवश्यकतानुसार उक्त परीक्षा केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने/घटाने एवं अभ्यर्थी द्वारा चयन किये गये परीक्षा केन्द्र को बदलने का अधिकार होगा। अभ्यर्थी को केवल नियत केन्द्र

पर ही प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। एक बार आबंटित किए गए परीक्षा केन्द्र को बदलने हेतु कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

रिक्त पदों हेतु सीट मैट्रिक्स

सी0एच0ओ0/एम0एल0पी0एच0 लिखित प्रवेश परीक्षा-2024 में चयनित अभ्यर्थियों हेतु सीटों की जनपदवार/कोटेवार सीट मैट्रिक्स काउन्सिलिंग के समय तैयार किया जायेगा, जो विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी।

चयनित अभ्यर्थियों हेतु काउन्सिलिंग एवं तैनाती स्थल हेतु नियम

सी0एच0ओ0/एम0एल0पी0एच0 लिखित प्रवेश परीक्षा- 2024 में चयनित अभ्यर्थियों हेतु काउन्सिलिंग विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी एवं तैनाती हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किया जायेगा, साथ ही काउन्सिलिंग हेतु आरक्षण संबंधी समस्त नियम/शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित की जायेगी।

सी0एच0ओ0/एम0एल0पी0एच0 हेतु निर्धारित पद, काउन्सिलिंग एवं तैनाती स्थल समस्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन होंगे।

काउन्सिलिंग के समय अभ्यर्थियों को संबंधित नर्सिंग काउन्सिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिस अभ्यर्थी का नर्सिंग पंजीकरण बाहर राज्य का होगा, उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति होने पर उत्तराखण्ड राज्य में भी पंजीकरण करवाना होगा। अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थान से integrated Curriculum of B.Sc Nursing & Post basic nursing Course का पत्र प्राचार्य/प्राचार्या से हस्ताक्षरित कराना होगा।

न्यायिक विवाद :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत Mid Level Health Provider/ Community Health Officer परीक्षा 2024 से सम्बन्धित कोई विवाद होने की दशा में उक्त विवाद केवल उत्तराखण्ड न्यायालय के अधीन होंगे।

परीक्षा नियंत्रक